

31-6-22

शररुते की रिपोर्ट दोहरा वाइ-फर पेथ दुध
वकील वादीगण उपस्थित वाइ-फर दर्ज
शररुते को प्रतिवादीगण को जय सम्मन
तलफकर पत्रावली दिनांक 18-8-22 को पेथे

3

18-8-22

पत्रावली पेथ ही वादीगण के आधीपत्रा
व वादीगण उपस्थित प्रतिवादी सं. 1 व 2
की तरफ से श्री गोपीशंकर शंकी एडवोकेट
द्वारा वकालतनामा के साथ शरीनामा
पेथ किया गया। मुताबिक शरीनामा के
प्रतिवादी सं. 1 गोवरीबाई पाली कापूलाव
गोवरीबाई पाली कापूलाव एच ही आईए
होना शरीनामा से जाहिर किया गया है
प्रतिवादी सं. 1 गोवरीबाई पूर्व में कापूलाव
की पाली के रूप में कापूलाव के साथ
शरना जाहिर किया गया एवं 40 वर्ष से
कापूलाव की पाली के रूप में रह रही
है। प्रतिवादी सं. 1 ने शरनाव रिपोर्ट में
दर्ज नाम को विलेपित किया जाकर
वादीगण को शरतेदार घोषित किये
जाने की सहमती अपने कथानों में भी
ही गरी है तथा सहमती के दाराक्षर
पत्रावली शरीनामा पर अकत दाराक्षर
किये गये।

मि. ग. वा. वा. वा.
शर

गोपीशंकर शंकी
एडवोकेट

पेथ

मि. ग. वा. वा. वा.
शर

अतः पक्षकारों द्वारा पत्रावली
3

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक
में

शजीनामा रजिस्ट्रार कर तस्वीर किया
जाता है शजीनामा अनुसार पार्सल
का.। शोबरीकार का नाम राजम
रिफाई से रजिस्ट्रार कर शोबरीकार
का दर्ज रजिस्ट्रार पर वादीगण को
शवातेदार कृषक घोषित किया जाता है
पश्चुत शजीनामा अनुसार अन्तिम रिकॉर्ड
जाये है। शजीनामा रजिस्ट्रार का अद्य
रिक्सा रहेगा। प्रमाणनी फॉर्मल शुगर
बैरर काड तक मील दखिल दफर हो।

3
उपसुद्ध अधिकारी
नाबरी (कृषी)